



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-05092026-275993
CG-UP-E-05092026-275993

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4665]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4665]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4852(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989(1989 का 24), की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित उप खंड, स्तंभ (4) में उल्लिखित जिले के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य की विशेष रेल परियोजना बीना-झाँसी-धौलपुर चतुर्थ लाइन के सन्दर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	उप खंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, झाँसी	झाँसी	झाँसी
2.	अपर जिलाधिकारी, ललितपुर / भूमि अध्याप्ति अधिकारी ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर

[फा. सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य. सी.ई.एन.जी.(जेन)/13/2026-ओ/ओ डी.वाई.सी. ई./ सी-II जे. एच. एस.(कम्प्यूटर क्र.169328)]

अजीत सिंह यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Central Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Prayagraj, the 31st August, 2026

S.O. 4852(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Table below as 'competent authority' to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official gazette in respect of the Special Railway Project of **“Bina-Jhansi-Dholpur 4th line”** in the state of Uttar Pradesh relating to sub division mentioned in column (3), District mentioned in column (4) of the said Table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	Sub Division	Disrict
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Special Land Acquisition Officer, Joint Organisation, Jhansi	Jhansi	Jhansi
2.	Additional District Magistrate, Lalitpur / Land Acquisition Officer, Lalitpur	Lalitpur	Lalitpur

[F. No. NCR-HQ0CENG(GEN)/13/2026-O/o Dy.CE/C-II/JHS (Computer No. 169328)]

AJIT SINGH YADAV, Chief Administrative Officer (Construction)